हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
धन्नी बनाम लालाराम प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट 26.07.2021 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वो आराजी विवादित खसरा न0 1082/0.20, 1087/0.14, 1089/0.09, 1119/0.05, 1122/0.05, 1123/0.09, 1138/0.10, 1142/0.04, 1637/0.33 कुल किता 9 कुल रकबा 1.09 ऐयर वाके का0ठ तह0 राजगढ से प्रार्थीनी को जबरन बेदखल करके कब्जा नहीं करें न दीगर लोगो को उक्त आराजी का बेचान करें। व शांतिपूर्वक प्रार्थीनी के कार्यकाश्त में व उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा न करें। ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें। साथ में शपथ पत्र पेश किया प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुऐ अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 14.09.2021 तक पाबन्द किया जाता है वो वादीगण की आराजी मुतनाजा पर रिकार्ड को यथास्थिति बनाये रखें। साथ मे अप्रार्थीगणो को नोटिस से तलब भी किया जावे कि उन्हे इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 14.09.2021को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो। उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर) 15/9/21 अवकाश के कारण आज पेशी स्थगित किया है। दिनांक 20/9/21 को पेश हो S.D.O. ....आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में कैम्प प्रशासन गाँवों के संग 2021 ग्राम पंचायत......में दिनांक.......... को पेश होने वास्ते तलब होकर पेश हुई। पक्षकारान् को कैम्प कोर्ट/राजस्व लोक अदालत ग्राम में उपस्थित होने बाबत् नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक.................. को राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत......... पेश हों। प्रभारी अधिकारी कैम्प कोर्ट (उपखण्ड अधिकारी राजगढ़) प्रशासन गाँवों के संग अभियान- 2021	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म में जारी किया
	1/7/24 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 18/7/24 को पेश हो। रीडर	
	18/09/2024 आज पत्रावली पेश हुई। पक्षकार उप. प्रति संख्या (01) की तरफ से अभिभाषक सुरेन्द्र शर्मा द्वारा P.T. प्रस्तुत की गई। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी सं. 01 व पुन: तलबी अप्रार्थी संख्या (6) (8) (9) (10) (12) (15) (20) (21) दिनांक 25/11/2024 को पेश हो। S.D.O.	
	25/11/24 पत्रावली पेश। पक्षकार उप. वास्ते जवाब (1) व पुन: तलबी 6, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 21 दिनांक 12/2/25 को पेश हो। SDO	
Note Press [signature]	4/8/25 पत्रावली एकजाई पेशी से दि. 27/8/25 को नियत है। मुलवाद के साथ प्रा. पत्र 212 को नोट प्रेस में खारीज होने के कारण प्रा. पत्र 212 भी नोट प्रेस में खारीज किया जाता है स्टे हटाने हेतु अलग से लिखा जावे। पत्रावली मुलवाद के साथ संलग्न होकर जमा लेखा भण्डार हो। उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ जिला-अलवर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला—अलवर

पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :— 02 / 86 / 2021 ऑनलाईन नम्बर 2021 / 229 प्रवेश तिथि—26.07.2021

अनुवानी प्रकरणः— धन्नी बनाम लालाराम
प्रार्थना पत्र रा0का0अ01955 अन्तर्गत धारा 212

दिनांकः—04.08.2025

यह पत्रावली इकजाई पेशी से दिनांक 27.08.2025 में नियत है। पत्रावली प्रार्थना पत्र स्वयं प्रार्थीया / वकील प्रार्थी के निवेदन पर दिनांक 27.08.2025 से तलब होकर आज पेश हुई। उनके द्वारा निवेदन किया कि वो प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं। उनके द्वारा प्रकरण नोट प्रेस करते हुए प्रकरण को नोट प्रेस में खारिज करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये गये। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण नोट प्रेस में खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला—अलवर

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला—अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला—अलवर

पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :— 02 / 86 / 2021 ऑनलाईन नम्बर 2021 / 229 प्रवेश तिथि—26.07.2021

अनुवानी प्रकरणः— धन्नी बनाम लालाराम
प्रार्थना पत्र रा0का0अ01955 अन्तर्गत धारा 212

दिनांक 04.08.2025

उपरोक्त सन्दर्भ में तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि उपरोक्त सन्दर्भित वाद का निस्तारण / निर्णय को हो गया है। अतः उक्त आदेश की पालना में जमाबंदी में लगाये गये स्थगन आदेश के नोट को विधिक प्रक्रिया अपनाकर हटाकर राजस्व रिकार्ड अद्यतित करें।

उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला—अलवर

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला—अलवर

पताः— मिनी सचिवायलय परिसर राजगढ जिला—अलवर

कार्यालय दूरभाष नं0 01464—220094
E-mail - sdmraj.alw@gmail.com